न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी- 5452/2018/नीमच/भू.रा.

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला- नीमच

विजय सिंह पुत्र श्री कजोडीमल जैन
निवासी-ग्राम, कुकडेश्वर तहसील मनासा,
जिला-नीमच

.........आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला नीमच

...........अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 1628/2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.06.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, मौजा पटवारी कुकडेश्वर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पंचनामा के अनुसार विजय सिंह पुत्र कजोडीमल जैन निवासी कुकडेश्वर द्वारा अपने भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि मौजा कुकडेश्वर स्थित सर्वे नं. 1122 रकवा 0.312 है0, सर्वे कमांक 1123 रकवा 0.336 है0 व सर्वे कमांक 1134 रकवा 0.235 कुल किता 3 कुल रकवा 0.883 है. भूमि जो कि कृषि भूमि से कृषि भिन्न आशय में भूमि का व्यपवर्तन कराये बगैर एवं बिना सक्षम अनुमति के कृषि भूमि पर वर्ष 2016-17 में खातेदार द्वारा गड्डे खोदकर चार दिवारी बनाकर रिहायसी मकान बनाने हेतु निर्माण प्रारंभ कर लिया होने से मौजा पटवारी पर से प्रकरण संस्थित कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सूचना पत्र अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मनासा जिला नीमच द्वारा जारी किया गया।

2. यहकि, अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मनासा के समक्ष आवेदक द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर बताया कि उक्त भूमि मेरे भूमिस्वामी स्वत्व की होकर आधिपत्य में है. मौजा पटवारी द्वारा रिपोर्ट में ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5442/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 1628/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम कुकड़ेश्वर स्थित भूमि सर्वे नंबर 1122 रकवा 0.312, 1123 रकवा 0.336 एवं सर्वे नं. 1134 रकवा 0.235 कुल किता 3 कुल रकवा 0.883 हे. कृषि भूमि को कृषि भिन्न आशय में व्यपवर्तन कराए बिना, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गड्ढे खोदकर चारदीवारी बनाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। अत: अग्रिम कार्यवाही की जाए। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 30.06.2017 द्वारा भूमि का व्यपवर्तन स्वीकार किया गया। साथ ही आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ किया जाना मानते हुए भूमि के बाजार मूल्य का बीस प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर नीमच के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 23.08.2017 द्वारा निरस्त की गई। अतिरिक्त कलेक्टर के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 28.06.2018 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा ग्राम पटवारी के एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है, जबकि एकपक्षीय प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य ही नहीं है। अत: ऐसे अग्राह्य प्रतिवेदन के आधार पर जो आदेश पारित किया गया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक को प्रस्तावित भूमि का नियमानुसार व्यपवर्तन किये जाने पर विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई है और व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है, इसलिए भूमि का व्यपवर्तन विधिवत रूप से किया गया है। अत: ऐसी स्थिति में उस पर अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता। इस वैधानिक बिन्दु पर विचार किए बिना जो आदेश पारित किया गया है वह अपास्त किए जाने योग्य है। यह भी तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 23.08.2017 को संशोधित आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया है, वह नितान्त अवैध व अनुचित होने से अपास्त किए जाने योग्य है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा बिना अनुमति कोई कार्य आवेदित भूमि पर नहीं किया गया है। दीवाल निर्माण कार्य हेतु जो गड्ढे खोदे गए थे, वह भूमि की सुरक्षा के लिए खोदे गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक पर बिना अनुमति के अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने का जो आदेश दिया गया है वह अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस ओर ध्यान न देकर त्रुटि की गई है। 4/ अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में है। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पटवारी द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन पेश किया गया कि आवेदक द्वारा अपने स्वत्व की ग्राम कुकड़ेश्वर स्थित भूमि सर्वे नंबर 1122 रकवा 0.312, 1123 रकवा 0.336 एवं सर्वे नं. 1134 रकवा	

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5442/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	0.235 कुल किता 3 कुल रकवा 0.883 हे. कृषि भूमि को कृषि भिन्न आशय में व्यपवर्तन कराए बिना, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गड्ढे खोदकर चारदीवारी बनाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। अत: अग्रिम कार्यवाही की जाए। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त प्रतिवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया, जिसका जवाब आवेदक द्वारा पेश किया गया। जवाब में आवेदक द्वारा लेख किया गयाकि दीवार बनाने के लिए, गड्ढे खोदने के लिए अनुमति आवश्यक होती है, इसकी जानकारी के अभाव में उनके द्वारा गड्ढे खोदने का कार्य किया गया है। जवाब में यह भी लेख किया गया कि यदि इस हेतु कोई राशि शासन कोष में जमा करनी पड़ती है तो प्रार्थी उसे जमा करने के लिए तैयार है। उक्त जवाब के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए भूमि का व्यपवर्तन स्वीकार किया गया है। साथ ही उन्होंने यह मानते हुए कि आवेदक द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। आवेदक पर भूमि के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत रुपये 6,75,320/- अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए जहां तक आवेदक पर अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रश्न है, अर्थदण्ड आरोपित करना औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकरण में ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं, जिससे यह सिद्ध होता हो कि आवेदक ने भूमि का उपयोग गैर-कृषि भिन्न आशय के लिए किया गया है। गड्ढे खोदना मात्र भूमि के व्यवपवर्तन की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक पर बिना सक्षम अनुमति के निर्माण प्रारंभ किया जाना मानते हुए 20 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपित करना औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों को	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा भी अनदेखा किया गया है। फिर भी चूंकि आवेदक द्वारा बिना अनुमति के गड्ढे खोदे गए हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक पर दो प्रतिशत अर्थदण्ड लगाया जाना उचित होगा। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदक पर अर्थदण्ड आरोपित करने संबंधी सीमा तक उनके आदेश निरस्त किए जाते हैं तथा आवेदक पर दो प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। तदनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसूली की कार्यवाही की जाए। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	